तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
13/10/2023	वुकलाय फरीकैन उपस्थित। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई, पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया. बाद अवलोकन वादीगणों का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिग्री पर्चा जारी होकर पत्रावली कोमल कुमार की दर्ज नम्बर तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर

राजस्थान सरकार
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु
(पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या–66 / 2018

वादीगण

1. नाथाराम पुत्र चिमाराम
2. रामाराम पुत्र चिमाराम
3. मेहराराम पुत्र चिमाराम
4. अणदाराम पुत्र चिमाराम वगैरा जाति जाट निवासी जसनाथ नगर(बायतु भोपजी) तहसील बायतु

बनाम

प्रतिवादीगण

1. चिमाराम पुत्र वगताराम जाति जाट निवासी जसनाथ नगर (बायतु भोपजी) तहसील बायतु
2. तहसीलदार, बायतु

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :–

1. श्री रिणछाराम सियाग वकील वादीगण
2. श्री घमण्डाराम सारण वकील प्रतिवादी संख्या 1

–: निर्णय :– **दिनांक : 13.10.2023**

संक्षेप में वाद कथन इस प्रकार हैं कि वादीगण ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक व संयुक्त कब्जा शुदा खातेदारी की भूमि मौजा जसनाथ नगर पटवार मण्डल बायतु भोपजी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर क्रमशः ,663, 664, 721 रकबा 0.04, 208.02, 20.00 बीघा में आई हुई है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 एक ही पूर्वज के वंशज है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के पिता व प्रतिवादी संख्या 1 के स्वयं के कब्जेकाश्त की थी तथा सेटलमेन्ट के समय वादीगण के पिता के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वाद ग्रस्त भूमि पर वादीगण के पिता व प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं के तथा बाद में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त रहा है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है और वादीगण अपने पैतृक भूमि में हिन्दू उतराधिकारी है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है तथा वादीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूष के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से के साथ सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर, इकबाली जवाब लिखित में पेश कर, वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए वाद ग्रस्त भूमि में वादीगण को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की है। वादीगण द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं नाथाराम पुत्र चिमाराम का शपथपत्र PW 1 व स्वतंत्र गवाह के रूप में PW 2 जसराज पुत्र गोमाराम जाति जाट निवासी बायतु चिमनजी के शपथपत्र पेश किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं चिमाराम पुत्र वगताराम का शपथपत्र DW 1 पेश किये गये।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला – बाड़मेर

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण पिता व प्रतिवादी संख्या 1 के स्वयं के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेन्ट के समय वादीगण के पिता व प्रतिवादी संख्या 1 के स्वयं के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 वगताराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से के साथ वादीगण सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा जसनाथ नगर पटवार मण्डल बायतु भोपजी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर क्रमशः 663, 664, 721 रकबा 0.04, 208.02, 20.00 बीघा में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ, वादीगण को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि यदि बैंक में रहन है तो पूर्व की भांति संबंधित बैंक में रहन रहेगी। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफतर हो।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

निर्णय आज दिनांक **13.10.2023** को खुली अदालत में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,बायतु

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.

वादीगण

1. नाथाराम पुत्र चिमाराम
2. रामाराम पुत्र चिमाराम
3. मेहराराम पुत्र चिमाराम
4. अणदाराम पुत्र चिमाराम वगैरा जाति जाट निवासी जसनाथ नगर(बायतु भोपजी) तहसील बायतु

बनाम

प्रतिवादीगण

1. चिमाराम पुत्र वगताराम जाति जाट निवासी जसनाथ नगर (बायतु भोपजी) तहसील बायतु
2. तहसीलदार, बायतु

दावा बाबत 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या–66/2018 **दिनांक :–13.10.2023**

वादीगण वकील श्री रिणछाराम सियाग व प्रतिवादी संख्या 1 के वकील श्री घमण्डाराम सारण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 13.10.2023 को न्यायालय में सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद–पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा जसनाथ नगर पटवार मण्डल बायतु भोपजी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर क्रमशः 663, 664, 721 रकबा क्रमशः 0.04, 208.02, 20.00 बीघा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ, वादीगण को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि यदि बैंक में रहन है तो पूर्व की भांति संबंधित बैंक में रहन रहेगी। तहसीलदार बायतु निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें।

खर्चा वाद पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 13.10.2023 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु सत्यमेव जयते

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वादपत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्तिपत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपयेपरप्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	शून्य	शक्तिपत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	शून्य
जोड़	शून्य	जोड़	शून्य

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

सहायक कलक्टर, बायतु

जिला – बाड़मेर